प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 09.06.2022

कुख्यात गोकशों से थाना गुलावठी पुलिस की हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25,000 रूपये का पुरस्कार घोषित कुख्यात गौकश मुन्नन उर्फ नवाब घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 08.06.2022 की रात्रि में प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावठी मय पुलिस टीम के क्षेत्र में तलाश वांछित एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि अभिसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहोली व चंदपुरा के जंगल में कुछ गौकश गोकशी की घटना कारित करने वाले है। इस सूचना पर गुलावठी पुलिस ग्राम महौली को जाने वाले रास्ते पर चैकिंग करने लगी, कुछ देर बाद एक बाइक पर दो युवक आते दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार दोनों अभियुक्त पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए भागने लगे जिसमें पुलिस पार्टी बाल-बाल बची, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बाइक सवार एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसको पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर समय रात्रि करीब 12.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा बाइक पर बैठा दूसरा बदमाश बाइक लेकर अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा जिसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। पकड़े गये बदमाश की **पहचान मुन्नन पुत्र नूरइलाही निवासी मौ0 पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी गुलावठी में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया बदमाश मुन्नन उर्फ नवाब शातिर किस्म का कुख्यात गोकश/बदमाश है गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नन थाना गुलावठी पर पंजीकृत मुअंस-158/22 धारा 307 भादवि व मुअसं-159/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उल्लेखनीय हैं कि गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब वर्ष-2021 में भी पुलिस मुठभेड में घायल हुआ था जिसके उपरान्त अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब पर 14(1) की कार्यवाही करते हुए इसकी पूरी सम्पत्ति जब्त की गयी थी, परन्तु इसके बाद भी अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब गौंकशी की घटनाओं में संलिप्त था। अभियुक्त मुन्नन के विरुद्ध थाना गुलावठी पर गौकशी/चोरी/हत्या का प्रयास आदि संगीन अपराधों के करीब 31 व थाना बीबीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- पहचान मुन्नन पुत्र नूरइलाही निवासी मौ0 पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी

1- एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा व एक खोखा कारतूस

अभियुक्त मुन्नन उर्फ नवाब का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-426/09 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
2- मुअसं-427/09 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
3- मुअसं-320/12 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
4- मुअसं-243/13 धारा 452,323,504,506 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
5- मुअसं-257/13 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
6- मुअसं-496/13 धारा 379,411 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
7- मुअसं-11/14 धारा 379,411,307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
8- मुअसं-207/14 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411,414,420 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
9- मुअसं-165/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
10- मुअसं-703/17 धारा 380 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
11- मुअसं-704/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
12- मुअसं-292/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
13- मुअसं-43/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
14- मुअसं-204/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
15- मुअसं-366/18 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

16- मुअसं-69/18 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
17- मुअसं-286/18 धारा 3/2 एनएसए थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
18- मुअसं-423/19 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
19- मुअसं-424/19 धारा 420 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
20- मुअसं-425/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
21- मुअसं-634/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
22- मुअसं-101/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
23- मुअसं-118/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
24- मुअसं-130/20 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
25- मुअसं-131/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
26- मुअसं-132/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
27- मुअसं-569/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
28- मुअसं-310/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर।
29- मुअसं-158/22 धारा 307 भादवि थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।
30- मुअसं-159/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधि0 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गुलावठी पर मुअसं-215/22 धारा 307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) व मुअसं-216/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>थाना गुलावठी पुलिस टीम-</u>

1. श्री अजय कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक गुलावठी।
2. अन्य कर्मचारीगण।